पीठासीन अधिकारी – श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 5/13 तारीख रजू 23.05.13

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी , कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

बनाम

1– श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा, उम्र 34 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण– विकेता व प्रोपराईटर –फर्म–बालाजी दुग्ध डेयरी, आशा होटल के पीछे, बजरिया सवाईमाधोपुर निवासी–भारद्वाज सदन, आशा होटल के पीछे, बजरिया सवाईमाधोपुर।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

निर्णय दिनांकः– 25.2.19

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन (आवेदक) ने अर्न्तगत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 05.11.2012 को 04:30 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म–बालाजी दुग्ध डेयरी, आशा होटल के पीछे, बजरिया सवाईमाधोपुर पर पहुँचा । वहां पर निरीक्षण के समय श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा, उम्र 34 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण मौजूद था जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया जो अपनी डेयरी पर आम जनता को घी, दूध आदि विकय करता है। श्री अशोक कुमार शर्मा को आवेदक ने अपना परिचय दिया एवं प्ररिचय पत्र दिखाया एवं श्री अशोक कुमार शर्मा से फर्म का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने को कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवे रजिस्ट्रेशन आईडेन्टिटी कार्ड कमांक 22212038000067 दिखाये तथा सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराई । निरीक्षण के समय दुकान पर एक स्टील की टंकी में लगभग 15 किलो घी था जिसमे से आम जनता को विकय किया जा रहा था का निरीक्षण किया। घी का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक हुआ तो विकेता अशोक कुमार शर्मा से उक्त टंकी के घी में से शुद्धता की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विकेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए की प्रति गवाहों की उपस्थिति में तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील बन्द लिफाफे में श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक /एफएसएसए/2012/3470 दिनांक 30/11/12 के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को उक्त नमूने की खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच रिपोर्ट सं0 **FSSL/KOTA/2012/826** दिनांक 20.11.2012 भेजते हुए एक प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जिसके अनुसार उक्त नमूना अमानक स्तर **(Sub Standard)** एवं असुरक्षित खाद्य **(Unsafe Food)** प्रकृति का पाया गया है। उक्त रिपोर्ट से अभियुक्त संतुष्ट नहीं होने के कारण नमूना जांच हेतु रैफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट के संख्या 131/मार्च/13–राज दिनांक 05/03/13 के अनुसार उक्त नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के सैक्शन 3(1)(zx) के तहत अमानक स्तर प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में विकता ने अमानक स्तर **(Sub Standard)** प्रकृति के घी का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लधंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 51 में निर्धारित है।

19/A

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वंय उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र मेंअंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर **(Sub Standard)** प्रकृति के घी का विकय करने का दोष साबित है। अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जबाब में अंकित तथ्यों के हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया कि आवेदक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की जानकारी ने होने के कारण उक्त घी अमानक स्तर **(Sub Standard)** पाया गया है। जिसकी भविष्य में दुबारा पुर्नावर्ति नहीं होगी। अतः अभियुक्त को न्यूनतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करने का श्रम करे।

उक्ताकिंत विवेचन के आधार पर अभियुक्त स्वयं ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त अपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अर्न्तगत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है तथा चुंकि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को अमानक स्तर **(Sub Standard)** प्रकृति के घी का विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को 5000 रूपये (पांच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर–भीतर न्याय निर्णयण अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर